



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126250

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 8238 वर्ष 2026

फरहान

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : सुनील कुमार गौड़

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय को एक दांडिक मामले में वैयक्तिक बंधपत्र और दो प्रतिभुओं पर विचार करने और स्वीकार करने तथा इसे याचिका के पैरा संख्या 4 में उल्लिखित सभी तीन दांडिक मामलों के लिए समान मानने का निदेश देने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याची छह प्रतिभुओं की व्यवस्था करने में असमर्थ है। परिणामस्वरूप, इस तथ्य के बावजूद कि याची को उसके विरुद्ध लंबित सभी तीन दांडिक मामलों में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, याची को अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया है, क्योंकि याची सभी मामलों में अलग-अलग प्रतिभू बंधपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसलिए यह आग्रह किया गया है कि याची को

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सभी मामलों में समान राशि का एक ही वैयक्तिक बंधपत्र और एक ही प्रतिभू बंधपत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाए।

4. अभिलेख से दर्शित होता है कि याची को संबंधित न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेशों के माध्यम से विभिन्न अपराध संख्या वाले मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है:-

(i) अपराध संख्या 1066 वर्ष 2023, भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 411 के अंतर्गत, पुलिस थाना क्वार्सी, जिला अलीगढ़।

(ii) अपराध संख्या 272 वर्ष 2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत, पुलिस थाना सिविल लाइन, जिला अलीगढ़।

(iii) अपराध संख्या 116 वर्ष 2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत, पुलिस थाना सिविल लाइन, जिला अलीगढ़।

5. तत्पश्चात उन्होंने बीएनएसएस की धारा 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 (दंड प्रक्रिया संहिता की तत्स्थानी धारा **439, 440, 441, 441ए, 442, 443, 444 और 445**) का संदर्भ दिया है और उसके आधार पर यह तर्क दिया है कि बीएनएसएस की योजना के अंतर्गत विभिन्न अपराध संख्या वाले मामलों में जमानत पर रिहा होने के लिए अलग-अलग वैयक्तिक बंधपत्रों के साथ-साथ प्रतिभू बंधपत्रों को प्रस्तुत करने की कोई आज्ञापक आवश्यकता नहीं है।

6. पूर्वोक्त तथ्यात्मक और विधिक आधार पर, याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ऐसी शर्तें जो वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप हों, अधिरोपित किए जाने योग्य हैं, ताकि याची जिसे उसके विरुद्ध लंबित सभी मामलों में जमानत दे दी गई है, वह अंततः जमानत पर बाहर आ सके।

7. हनी निषाद उर्फ मोहम्मद इमरान उर्फ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 और रामवती अवस्थी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दिनांक 09.08.2021 का संदर्भ भी दिया गया है। उन्होंने दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11380 वर्ष 2019, (रिज़वान उर्फ अता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), 2019 (107) एसीसी 894 में रिपोर्ट किया गया, में दिनांक 15.03.2019 को और दांडिक विविध प्रार्थना पत्र (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत) संख्या 40957 वर्ष 2019, (मोबीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 21.11.2019 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संदर्भ दिया है, जिसमें न्यायालय ने यह उपबंधित करते हुए जमानत की शर्तों को उपांतरित किया था कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत वैयक्तिक बंधपत्र और दो प्रतिभुओं को आवेदक के विरुद्ध लंबित सभी मामलों में स्वीकार किया जाए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त आदेशों की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई गई है जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।

8. पूर्वोक्त तथ्यात्मक और विधिक आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाए और एक अपराध संख्या मामले में याची द्वारा प्रस्तुत दो प्रतिभुओं को सभी मामलों में प्रतिभुओं के रूप में स्वीकार किया जाए।
9. इसके विपरीत, विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया है किंतु याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए आदेशों का खंडन नहीं कर सके।
10. उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका सफल होती है और स्वीकार किए जाने योग्य है।
11. तदनुसार, यह उपबंधित किया जाता है कि याची को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक वैयक्तिक बंधपत्र और दो प्रतिभू निष्पादित करने की अनुमति दी जाएगी जो वर्तमान याची के विरुद्ध लंबित सभी तीन मामलों में मान्य होंगे।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

जून 8, 2026

एस.अली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।